आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1946 का नियम)

केस का प्रकार–

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश के अनुपालन में की गई कार्रवाई का पत्रांक एवं दिनांक
04.07.2017	***आदेश*** पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 1695/सी0आर0, दिनांक 10.05.2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि धारा–30(ए) बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत खगड़िया गंगौर कांड संख्या 525/2016 दिनांक 30.08.2016 वादी थानाध्यक्ष श्री संतोष कुमार खगड़िया (गंगौर) थाना द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर जय शंकर सिंह उर्फ ढोरो सिंह पे0–लक्ष्मण सिंह, साकिन सुगठिया, थाना गंगौर, जिला खगड़िया के मकान के उत्तर तरफ वाले कमरा से 20 (बीस) बोतल ब्लू इम्पोरियम विदेशी शराब बरामद किया गया। उक्त काण्ड में सुंगठिया स्थित अभियुक्त का छतदार पक्का मकान को अधिहरण करने का प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के माध्यम से प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के साथ प्राथमिकी तलासी सह जप्ती सूची अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर खगड़िया का पर्यवेक्षण टिप्पणी तथा पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के प्रतिवेदन 2 संलग्न है। अभिलेख में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 30 (ए) के अन्तर्गत जप्ती या तलासी की प्रारंभिक रिपोर्ट संलग्न है। प्रतिवेदन में जप्ती का विवरण स्पष्ट है जो अधिहरण प्रस्ताव में वर्णित स्थिति को सम्पुष्ट करता है। जप्ती की विवरणी निम्नवत है :– जप्ती सूची के अनुसार घर में अवैध रूप से बोरा में छिपाकर रखा 20 (बीस) बोतल इम्पोरियम ब्लू अंग्रेजी शराब प्रत्येक 7.50 एम0एल0 का बरामद किया गया है। प्राप्त अधिहरण प्रस्ताव के आलोक में सभी संबंधित को विधिवत सूचना निर्गत कर सुनवाई की निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया। साथ ही दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण के दिनांक 10.06.2017 एवं प्रभात खबर दिनांक 11.06.2017 के संस्करण में प्रकाशित सूचना के द्वारा मकान के स्वामी जय शंकर सिंह उर्फ ढीरो सिंह को निर्धारित तिथि दिनांक 13.06.2017 को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु संसूचित किया गया। विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। विपक्षी के अधिवक्ता का कहना है कि अधिहरण हेतु प्रस्तावित मकान प्रतिवादी एवं अन्य का संयुक्त मकान है। जिसमें प्रतिवादी के अलावे लक्ष्मण प्रसाद सिंह (पिता) शिव शंकर प्रसाद सिंह एवं अर्जून प्रसाद सिंह का अलग–अलग दखल कब्जा व हिस्सा है। उनका यह भी कहना है कि प्रतिवादी का उक्त परिसर खिड़की किबाड़ विहीन छतदार परिसर है और प्रतिवादी कटिहार में रहकर अपने बच्चों की पढ़ाई करवा रहे हैं। प्रतिवादी का उक्त परिसर सील बन्द नहीं किया गया है। अतः आज की तिथि में उसे सील बन्द कर अधिहरण संबंधी कोई भी कार्रवाई न तो अपेक्षित है और न ही नियमानूकुल है।	

जप्ती के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत मकान/भूखण्ड का उपयोग विपक्षी द्वारा ईरादतन शराब के कारोबार के लिए किया जा रहा था, जो वर्त्तमान में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के अन्तर्गत संज्ञेय अपराध है तथा इसमें प्रयुक्त मकान अधिहरण योग्य है।

सुनवाई के क्रम में विशेष लोक अभियोजक उत्पाद अधिनियम द्वारा इस कांड में विधिवत की गई जप्ती एवं प्रश्नगत मकान से जप्त शराब की मात्रा का उल्लेख करते हुए प्रश्नगत मकान को अधिनियम की धारा 58 (2) के अन्तर्गत अधिहरण योग्य बताया गया है। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि सभी प्रतिवेदनों से यह स्पष्ट है कि संदर्भित अधिनियम अन्तर्गत राज्य में शराब पूर्णतः निसिद्ध होने के कारण शराब का कारोबार करना बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के अन्तर्गत संज्ञेय अपराध है।

बहस तथा अभिलेख के अवलोकन के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रश्नगत मकान का उपयोग शराब कारोबार के लिए किया जा रहा था। प्रतिवादी द्वारा या उनके अधिवक्ता द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका कि वे अपने घर/मकान में कभी नहीं रहते है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत मकान बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के अन्तर्गत अधिहरण किये जाने योग्य है। अतः निम्नलिखित आदेश दिया जाता है कि :–

1. इस अपराध में उपयोग में लाये गये मकान जिसकी चौहद्दी निम्नवत है :–
   उत्तर–बालेश्वर सिंह, पे0 स्व0 दुर्गा सिंह का ईंट खपड़ा का घर एवं अभियुक्त का जमीन, दक्षिण–शंकर सिंह, पे0 लक्ष्मण सिंह का पक्का मकान बाद पी0सी0सी0 सड़क, पूरब–अभियुक्त का नीज जमीन, पश्चिम–दिलीप सिंह पे0 स्व0 रामसेवक सिंह का छतदार मकान को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 58 (2) के अन्तर्गत अधिहरण किया जाता है। अधिहरण किया जाने वाला घर किसी भी ऋणभार से मुक्त होगा। साथ ही लोकहित में निदेश दिया जाता है कि इस अधिनियम की धारा 58 (5) के अन्तर्गत सार्वजनिक निलामी के माध्यम से इसकी बिक्री की जाय।
2. कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, खगड़िया को निदेश दिया जाता है कि वे मकान को उचित मूल्यांकन कर मूल्यांकन प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर समर्पित करेंगे।
3. सार्वजनिक निलामी की कार्रवाई उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया की देखरेख में की जायेगी और निलामी से प्राप्त धन राशि सरकारी खजाने में विहित रीति से जमा की जायेगी।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्ता,
खगड़िया।

समाहर्ता,
खगड़िया।